



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

आम सूचना

क्रमांक: F-JDA/Zone 09/2025/D-105

आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन क्रमांक 269701 दिनांक 02/12/2025 को निम्नांकित भूखण्ड का Name Transfer जारी करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये है

क्र.सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी/ लीजधारक का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स./ निजी खातेदारी/ जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	Prem Chand Meena S/o SITA RAM MEENA	श्री सौरव गर्ग पुत्र श्री राजेन्द्र गर्ग	33	84.00 SQ. METER	Private	MAJOR SANKLAP ENCLAVE Sector/Block-	Name Transfer	जविप्रा की योजना मेजर संकल्प एनक्लेव के भूखण्ड संख्या 33 क्षेत्रफल 84.00 वर्ग मीटर की फ्री होल्ड लीजडीड श्री सौरव गर्ग पुत्र श्री राजेन्द्र गर्ग के नाम से दिनांक 13.03.2023 को जारी की गयी है। तत्पश्चात श्री सौरव गर्ग द्वारा उक्त भूखण्ड का बेचान जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 05.03.2024 के द्वारा मैसर्स कार्तिकेय ड्रीम इन्फ्राप्रोजेक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड अधिकृत निदेशक श्रीमती अनिता शर्मा पत्नी श्री रवि कुमार शर्मा को कर दिया गया। तत्पश्चात मैसर्स कार्तिकेय ड्रीम



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

इन्फ्राप्रोजेक्टस प्राईवेट लिमिटेड अधिकृत निदेशक श्रीमती अनिता शर्मा द्वारा उक्त भूखण्ड का बेचान जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 23.09.2025 के द्वारा श्री प्रेम चन्द मीणा पुत्र श्री सीताराम मीणा को कर दिया गया। आवेदक श्री प्रेम चन्द मीणा द्वारा उक्त भूखण्ड का नाम हस्तान्तरण हेतु आवेदन किया गया है।

उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में Name Transfer जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस एवं संस्था को आपत्ति हो तो मय साक्ष्य के इस सूचना की प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर jda.rajasthan.gov.in पर जाकर Objection module के माध्यम से आपत्ति online सबमिट करें, अन्यथा आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त भूखण्ड की नियमानुसार कार्यवाही कर दी जावेगी।

प्रतिलिपि:-

1. Prem Chand Meena S/o SITA RAM MEENA को उक्त विज्ञप्ति 8 फोन्ट साईज में राज्य स्तरीय समाचार पत्र में से एक समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित करवाकर प्रति अपलोड करें।
2. रक्षित पत्रावली।

नोट :-

कृपया उक्त विज्ञप्ति के प्रारूप का राज्य स्तरीय समाचार-पत्र (प्रतिदिन प्रकाशन न्यूनतम 50,000 प्रतियाँ) में प्रकाशन करावे | प्रकाशन दिनांक से 7 दिवस पचशत समाचार-पत्र के जिस पेज पर विज्ञप्ति प्रकाशित हुयी हैं, उस पूरे पेज की स्पष्ट स्कैन प्रति, जिसमें प्रकाशन की तारीख, समाचार-पत्र का नाम, पेज संख्या व विज्ञप्ति दिखाई दे, ऑनलाइन अपलोड करें तथा समाचार-पत्र की भौतिक (physical) प्रति कार्यालय में प्रस्तुत ना करें |